उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय, चतरा

दिनांक 05.10.2012 को उपायुक्त महोदय, चतरा श्री मनोज कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1998 की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाहीवृत।

उपस्थित – पंजी के अनुसार

– कार्यवाही –

उपायुक्त महोदय : चतरा द्वारा निर्देश दिया गया कि :–

1. मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा जिले के सभी नर्सिंग होम का सूची तैयार करेगें एवं सभी का निबंधन भी करेगें।

   (कार्यवाही – मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा)
2. मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा जिले में अवस्थित सभी नर्सिंग होम को राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, हजारीबाग से जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1998 के तहत् प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देश देंगें।

   (कार्यवाही – मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा)
3. जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार एवं निस्तारण हेतु Incinerator स्थापित करना एवं इसके लिए सरकार से निधि की व्यवस्था करने हेतु संबंधित विभाग को लिखा जाए।

   (कार्यवाही – मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा)
4. Incinerator का डिजाइन. एवं निर्माण कैसे कराया जाए इसके लिए पर्षद के पदाधिकारी मार्गदर्शन करें।

   (कार्यवाही – क्षेत्रीय पदाधिकारी, झा०रा०प्र०नि०पर्षद, हजारीबाग)
5. नगर पर्षद, चतरा शहर में सर्वे कर नर्सिंग होम का लिस्ट तैयार करें एवं यह भी सर्वे करें कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार एवं विस्तारण उनके द्वारा कैसे किया जाता है।

   (कार्यवाही – विशेष पदाधिकारी, नगर पर्षद, चतरा)
6. जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार एवं निस्तारण के बारे में आम लोगों को जानकारी देने हेतु चतरा में पर्षद एवं जिला प्रशासन द्वारा एवं वर्क शॉप आयोजित किया जाए।

   (कार्यवाही – जिला प्रशासन एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, झा०रा०प्र०नि०पर्षद, हजारीबाग)
7. जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार एवं निस्तारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए। इसे Incinerator के माध्यम से ही उपचार एवं निस्तारण किया जाए।

   (कार्यवाही – टास्क फोर्स के सभी सदस्य)

8. जिला में अवस्थित दो गैर सरकारी संस्थानों को नामित करने हेतु अपना अपना मंतव्य देंगे।

(कार्यवाही – टास्क फोर्स के सभी सदस्य)

अन्त में सधन्यवाद ज्ञापन कर बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

अध्यक्ष, टास्क फोर्स समिति,
–सह–
उपायुक्त, चतरा

ज्ञापांक :– 2906 हजारीबाग, दिनांक 18/10/12

प्रतिलिपि :– (1) पुलिस अधीक्षक, चतरा।
(2) मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा।
(3) विशेष पदाधिकारी, नगर पर्षद, चतरा।

संयोजक, टास्क फोर्स समिति,
–सह–
क्षेत्रीय पदाधिकारी,
झा०रा०प्र०नि०पर्षद, हजारीबाग।